सं. 19030/3/2008-संस्था-IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- यात्रा भत्ता नियम- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का कार्यान्वयन।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 23.09.2008 और 19.11.2008 के फलस्वरूप, दौरे पर दैनिक भत्ता के बारे में दिनांक 23.09.2008 के का.ज्ञा. के पैरा 3 के संबंध में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

2. प्राप्त संदर्भों को ध्यान में रखते हुए सलाह दी जाती है कि "दौरे पर देय दैनिक भत्ते की दरें" इस विभाग के दिनांक 23.09.2008 के का.ज्ञा. में निहित प्रावधानों अथवा उक्त का.ज्ञा. के जारी होने से पूर्व प्रचलित पुरानी दरों, कर्मचारी द्वारा जो भी दावा किया जाए, के अनुसार विनियमित की जाएं। दावे का विकल्प उस विशिष्ट दौरे से संपूर्ण पैकेज के लिए होगा न कि दोनों में से किसी एक के लिए। दूसरे शब्दों में, दौरे पर दैनिक भत्ते के संबंध में अधिकारी 23.09.2008 अथवा 17 अप्रैल, 1998 के आदेश में से किसी एक आदेश द्वारा शासित होने का निर्णय ले सकता है।

3. यदि दौरे पर दैनिक भत्ते की दर उक्त का.ज्ञा. दिनांक 23.09.2008 के जारी होने से पूर्व प्रचलित पुरानी दरों के अनुसार विनियमित की जाती है तो (क) संशोधित वेतनरेंज अर्थात् केवल दैनिक भत्ते के विनियमन के प्रयोजनार्थ वेतन बैंड में वेतन निम्न प्रकार होगा:-

वेतनरेंज (कार्यालय ज्ञापन के अनुसार)	वेतन बैंड में संशोधित वेतन
16,400 रुपए और अधिक	30,500 रुपए और अधिक
8,000 रुपए और अधिक लेकिन 16,400 रुपए से कम	15,000 रुपए और अधिक लेकिन 30,500 रुपए से कम
6,500 रुपए और अधिक लेकिन 8,000 रुपए से कम	12,500 रुपए और अधिक लेकिन 15,000 रुपए से कम
4,100 रुपए और अधिक लेकिन 6,500 रुपए से कम	8,000 रुपए और अधिक लेकिन 12,500 रुपए से कम
4,100 रुपए से कम	8,000 रुपए से कम

एच.ए.जी.+ और शीर्षस्थ वेतनमान वाले अधिकारियों के संबंध में दैनिक भत्ते की हकदारी के निर्धारण हेतु सी.सी.एस. (आर.पी.) नियमावली में यथापरिभाषित मूल वेतन पर विचार किया जाएगा।

(ख) शहरों/नगरों का वर्गीकरण, दिनांक 17.04.1998 के का.ज्ञा. द्वारा यथाप्रतिवारित पुरानी दरों के साथ प्रचलित आदेशों के अनुसार लागू बना रहना जारी रहेगा।

4. इन आदेशों के जारी होने की तारीख की स्थिति के अनुसार पहले ही निपटा दिए गए टी.ए. दावों पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

(कर्ण सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि।

प्रतिः

(i) सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र।
(ii) सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल।
(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।
(iv) संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक विभाग (ए.आई.एस. प्रभाग), लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, और
(v) जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।